

राजस्थान सरकार


निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(21)पीएस/निकाशि/04/828-836

दिनांक : 24/4/2013

सूचना

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण निर्णय जयपुर में दायर अपील संख्या 1176/2011 के निर्णय दिनांक 06.11.12 की अनुपालना में राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के अन्तर्गत महाविद्यालयों में दिनांक 02.04.94 से 01.04.07 तक कार्यरत व्याख्याताओं की इस कार्यालय द्वारा जारी अस्थायी वरिष्ठता सूची सूचना क्रमांक एफ1(21)पीएस/निकाशि/04/74 दिनांक 31.01.08/07.02.08 एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची क्रमांक एफ1(21)पीएस/निकाशि/04/205 दिनांक 26.05.11 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।



निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक एफ1(21)पीएस/निकाशि/04/828-35


दिनांक : 24/4/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि इस पत्र की एक प्रति संबंधित व्याख्याता को देकर प्राप्ति की रसीद अपने रिकॉर्ड में रखें।
4. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर एवं बीकानेर।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6. उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को उनके यू0ओ0नोट क्रमांक एफ16(15)विधि/नि/अपील अधि/11/126 दिनांक 20.02.13 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक(कार्मिक)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपि :- श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर - कृपया वेबसाईट पर अपलोड करें।


उप निदेशक (कार्मिक)
कालेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर